प्रेषक,

आयुक्त,
बस्ती मण्डल,बस्ती

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
शिक्षा अनुभाग–7
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ

संख्या /सत्ताइस–01/2012–13 दिनांक जून , 2013

विषय सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल करौंदा मसीना सिद्धार्थनगर को सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सबंध में।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या 1916/15 2009–1 (299)/ 2007, दिनांक 14–7–2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित शासनादेश में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत गठित मण्डलीय समिति द्वारा बैठक दिनांक 26–6–2013 को प्रस्तावित सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल करौंदा मसीना सिद्धार्थनगर को सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

1– विद्यालय की पंजीकृत समिति का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2– विद्यालय की प्रबन्ध समिति में राज्य सरकार के जिला स्तर का कोई अधिकारी संस्था द्वारा नामित सदस्य होगा।

3– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4– संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है, तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल आफ दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

5 संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं [illegible] चारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

6– कर्मचारियों की सेवा–नियमावली बनायी जायेगी और उसे सहायता प्राप्त अशासकीय सहायक माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों का

PRINCIPAL
Siddharth Public School
Karaunda Masina-Siddharth Nagar

प्रबन्धक
सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल
सिद्धार्थनगर

7— राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

8— विद्यालय के अभिलेख निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखे जायेंगे।

9— जनहित याचिका संख्या 483/2004 अविनाश मेहरोत्रा प्रति यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13–04–2009 के अनुपालन में विद्यालय द्वारा, सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्त होने के पूर्व, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है एवं उसमें अग्निशमन यन्त्र स्थापित हो चुका है तथा स्टाफ अग्निशमन उपायों हेतु भलीभाँति प्रशिक्षित है।

10— उपर्युक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/ संशोधन/ परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2— उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
आयुक्त
बस्ती मण्डल, बस्ती

संख्या 3102 /सत्ताइस 01/2012–13 दिनांक 29 जून 2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01– शिक्षा सचिव (माध्यमिक शिक्षा) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
02– शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) उत्तर प्रदेश लखनऊ।
03– सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र 2 समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार, नई दिल्ली।
04– निरीक्षक, ऑग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
05– जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
06 संयुक्त शिक्षा निदेशक, बस्ती मण्डल, बस्ती।
07– जिलाविद्यालय निरीक्षक सिद्धार्थनगर।
08– प्रबन्धक, सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल करौंदा मसीना सिद्धार्थनगर।

(सुशील कुमार)
आयुक्त
बस्ती मण्डल बस्ती

PRINCIPAL
Siddharth Public School
Karaunda Masina-Siddharth Nagar

प्रबन्धक
सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल
सिद्धार्थनगर